मंडल की 24 सितंबर 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	123	मंडल की 13 अगस्त, 2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 13.8.2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	124	मंडल की 20 अगस्त, 2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 20.8.2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
3.	125	कार्गो प्रबंधक, प्रशासन, हाउसकीपिंग आदि के लिए कार्यालय स्थान के रुप में उपयोग के लिए लायसंस आधार पर 12 बी इंदिरा गोदी शेड में प्रत्येकी 25 वर्ग क्षेत्रफलवाले 8 कमरों के आबंटन हेतु निविदा मंगाना.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है - (i) भू-नीति के अनुसार 11 महीने तथा 11 महीने के 4 विस्तार के लिए लायसंस प्रदान करना. (ii) टिप्पणी के परिच्छेद 6 (सी) के अनुसार सिफारिशें निकालना.	यातायात
4.	126	कन्टेनर से जुड़े प्रभारों का निपटान नहीं होने के कारण कच्छ शिपिंग एजेन्सी प्रा. लि. के पास बकाया.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (ii) टिप्पणी के परिच्छेद 17 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव. (iii) संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करना. (iv) जहाँ कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और जीएसटी का भुगतान किया गया है वहाँ प्रस्तुत बिलों की समीक्षा करना.	यातायात
5.	127	मुंपोट्र भूमिक्षेत्रों तथा जलक्षेत्रों के अन्दर एमएमआरडीए द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण - एसटीपी, सिवरी क्षेत्र में गोदाम सं. 1, 3, 4 तथा 5 गिराना. - एसटीपी में गोदाम सं. 5 के अवशेष मूल्य के लिए नुकसान माफ करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
6.	128	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्त) विनियम, 2019 तैयार करना.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के अन्तर्गत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्त) विनियम, 2019 को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते की इसी की धारा 124 (1) के अन्तर्गत केंद्र सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन
7.	129	निविदा सं. 09/2019 - न्यू कालोनी, नाडकर्णी पार्क, वडाला में ईमारत सं. 1 से 6, 11, 14, 15, 17 से 21, 23, 24, तथा 27 (17 ईमारतें) की अत्यावश्यक सिविल मरम्मत. - ठेकेदार के कर्मियों को आवासीय मकान का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
8.	130	'बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई, में बॅलार्ड इस्टेट पर्व आयोजित करने हेतु लायसंस प्रदान' करने के लिए निविदा, फेरिजव्हील इन्टरटेनमेंट प्रा. लि. को प्रदान किया गया.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 12 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को, (ii) उसी शर्तों पर पुन: विज्ञापन जारी करने को और यदि कोई प्रति साद नहीं मिलता है तो उसी पर किसी विशेष दिन को किसी भी इच्छुक पार्टी को बॅलार्ड इस्टेट पर्व आयोजित करने के लिए अनुमति देने को.	यातायात
9.	131	निविदा सं. ई - 112/2017 - मुंपोट्र सम्पदा में एक वर्ष की अवधि के लिए हाउसकीपिंग कार्य. - अधिक तथा अतिरिक्त निष्पादन हेतु अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
10.	132	बँक गॅरन्टी निष्पादन (पीबीजी)- निविदा खण्ड में संशोधन (निविदा सं. डीसी - 03/2019).	टिप्पणी के परिच्छेद 13 के उपसंरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
11.	133	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्थित प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के लिए 22 किलो व्हॉट्स (केव्ही) के उप-केन्द्र का प्रावधान.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 के मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यांत्रिकी
12.	134	निम्न के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर - (i) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तथा जेएसी जोरजियन रेलवे. (ii) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट तथा अनाक्लिया डेव्लपमेण्ट कॉनसॉर्टियम एलएलसी.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
13.	135	मुंपोट्र रेलवे माल प्रशुल्क सं. 5/1952 के परिच्छेद 81, 82, 89, 90 तथा 91 में सुधारित दरें समाविष्ट करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 के रेलवे प्रबंधक के प्रस्ताव की अभिपुष्टि की जाती है.	रेलवे
14.	136	पूर्व उपाध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, श्री. श्रीकांत सिंह से वसूली योग्य राशि.	पूर्व उपाध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, श्री. श्रीकांत सिंह से 1,56,319 रुपये की वसूली योग्य राशि माफ करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	वित्त
15.	137	मुंबई पोर्ट लंगरगाह में फ्लोट ऑन - फ्लोट ऑफ जहाज प्रचालन.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 16 के उपसंरक्षक के प्रस्ताव को. (ii) हर तीन महीने में बोर्ड को सूचित करने को.	समुद्री
16.	138	जेएनपीटी के वरिष्ठ अधिकारियों को आवासीय मकान का आबंटन - न्यासी संकल्प सं. 229 दिनांक 16.1.2015 की समीक्षा.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) टिप्पणी के परिच्छेद 5 (ए) के प्रस्ताव को. (ii) उसी नियम एवं शर्तों पर 24.9.2019 से तीन महीने के अवधि के लिए विस्तार प्रदान करने को.	कल्याण

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
17	139	डॉ. मालिनी शंकर, पूर्व महानिदेशक जहाजरानी को फ्लॅट सं. 1, फॉस्बेरी हाउस कोलाबा को आबंटन.	डॉ. मालिनी शंकर द्वारा किये अनुरोध नुसार 31.12.2019 तक आवास कायम रखने तथा दिनांक 24.6.2003 के न्यासी संकल्प सं. 74 के प्रावधानों के अनुसार किराया वसूल करने पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	कल्याण
18.	140	एमडीएल द्वारा मुंबई वर्कशॉप में पडे संयंत्र तथा यंत्र और उपयोग नहीं किये गये उपभोग्य पदार्थों तथा टिंबर सामग्री आदि को अधिकार में लेना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 और 5 के मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यांत्रिकी
19.	141	प्रिंस ऑफ वेल्स म्युजियम से अनिक जंक्शन तक (एपीएलआर की शुरुआत) ईस्टर्न फ्रीवे का निर्माण. (1) मुंपोट्र के ओएफसी तथा इलेक्ट्रिकल केबल के नुकसान के लिए एमएमआरडीए पर दावा और; (2) 10 करोड रुपये के एफडीआर का विमोचन.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) परिच्छेद 9 (ए) (i) से (iii) के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को; (ii) परिच्छेद 9 (ए) (i) से (iii) पर दिये नुसार भुगतान राशि तथा कर की प्राप्ति पर एमएमआरडीए को 10 करोड रुपये की एफडीआर वापस करने को; (iii) परिच्छेद 9 (ए) (iv) पर दिये नुसार पर्यवेक्षण प्रभार माफ करने को.	स्थापत्य
20.	142	हार्बर क्रुज प्रचालन के लिए लायसंस जारी करना. (निविदा सं. डीसी-03/2018).	टिप्पणी के परिच्छेद 6 के निविदा समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
21.	143	1. एम.व्ही. सूमो, एम.व्ही. ए1 मारवा, एम.व्ही. ओशियन ग्लोरी, एम.व्ही. लीन एच जैसे जहाजों को निधि वापसी की बाधित समय को माफ करना तथा एम.व्ही. ग्रीनविच प्रोग्रेस की निधि वापसी की कार्यवाही करना और उसे कस्तूरी कॉमोडिटीज प्रा.लि के एम.व्ही. मेगा सिमेण्ट एलडीटी 3517 दशलक्ष टन के पोर्ट ट्रस्ट के बकाया प्रभारों के लिए समायोजित करना. 2. एलबीएस - 05 स्थित एम.व्ही. "मेगाह सिमेण्ट" एलडीटी 3517 दशलक्ष टन के संबंध में शेष बकाया पोर्ट ट्रस्ट प्रभारों की वसूली के लिए कस्तूरी कॉमोडिटीज प्रा.लि के खिलाफ प्रस्तावित मुकदमा दायर करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 10(6) के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात
22.	144	प्रिन्सेस गोदी, मुंबई पोर्ट स्थित रो-पॅक्स यात्री टर्मिनल तथा रेस्तराँ का अनुरुपांतरण, प्रचालन तथा अनुरक्षण.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
23.	145	मंडल की 13 अगस्त, 2019 तथा 20 अगस्त, 2019 को आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट.	मंडल की 13.8.2019 तथा 20.8.2019 को आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्रवाई अनुमोदित, समीक्षा तथा अभिलिखित की जाती है.	सामान्य प्रशासन
24.	146	रोपॅक्स जहाज की खरीद, सुपुर्दगी तथा परीक्षण प्रचालन के लिए परामर्शदाता के रुपमें भारतीय नौवहन निगम की नियुक्ति.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 के उपसंरक्षक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	समुद्री
25.	147	निविदा सं. एमईईडी 11/2019 - मुंबई पोर्ट ट्रस्ट स्थित प्रस्तावित अन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल के लिए एचव्हीएसी कार्य.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 के मुख्य यांत्रिकी अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यांत्रिकी

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
26.	148	मुंपोट्र कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 - विभाग प्रमुख के भर्ती नियम में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में प्रस्तुतनुसार विभाग प्रमुखों के संबंधित भर्ती नियमों तथा विनियम 4 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है बशर्ते कि, इसी की धारा 124(1) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन
27.	149	1.10.2012 से 30.9.2017 तक दरमान में सुधार.	विचार - विमर्श आस्थागित.	सम्पदा
28.	150	बॅलार्ड इस्टेट तथा मोदी बे इस्टेट के विभिन्न भूखण्डों की दरमान सूची 2017-22, फोर्ट प्रभाग के रेडी रेकनर झोन 2/22 के लिए 1.10.2017 से आरक्षित मूल्य के नियतन के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार - विमर्श.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 के मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	सम्पदा
29.	151	डूबी हुई जहाज की बिक्री तथा मुंबई हार्बर में पड़ी भंगार जहाजों को हटाने के लिए ई-निलामी सं. 3738 (एमएसटीसी). - सुपुर्दगी अवधि में विस्तार.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है: (i) नयी निविदा में तय दर यानी दोनों निविदाओं में से उच्चतम दर पर वर्तमान बोलीकर्ताओं द्वारा और दो जहाजों के हटाने को. (ii) शेष 18 भंगार जहाजों को हटाने के लिए एक विज्ञापन जारी करने तथा एक से अधिक बोलीकर्ताओं को शामिल करने को.	समुद्री
30.	152	अनुमोदित दरमान के अनुसार 3.10.2019 से प्रभावी दरों पर कटौती दरें लागू करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का उपसंरक्षक का प्रस्ताव एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया जाता है, बशर्ते कि चर्चा की टिप्पणी में उल्लेखित अवलोकनों का अनुपालन हो.	समुद्री

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
31.	153	मुंपोट्र में तटरक्षक के लिए अतिरिक्त बर्थिंग स्थान साथ में शिप सपोर्ट कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए क्षेत्र का आबंटन.	सुधारित अपफ्रॅण्ट 130,38,72,473 रुपये (भूमि तथा जलक्षेत्र के लिए) के भुगतान के साथ परिच्छेद 23 और 25 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात
32.	154	भारत पेट्रोलियम निगम लि. द्वारा जुना पीरपॉव घाट जेट्टी में बंकर बार्जों का लदान बढ़ाने के लिए 8 इंच व्यास की 20 मीटर पाइपलाइन बिछाना.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
33.	155	मुंबई पोर्ट के 10 इंदिरा गोदी में चिन्हित क्षेत्र के अन्दर सुविधाओं के स्थापना के साथ अथवा बिना स्थापना के भंडारण/कार्गो प्रचालन, कार्गो सम्हलाई उपकरण जैसे ऑफशोअर कार्यों के लिए खुले/घेरादार स्थान के आबंटन के लिए निविदा मंगाना.	विचार विमर्श आस्थागित.	यातायात
34.	156	पोर्ट प्रभारों पर कटौती - आंग्रिया सी ईगल से अनुरोध.	आंग्रिया सी ईगल को वर्तमान प्रभारों पर 20% की रिआयत प्रदान करने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है. तथापि, उनको किसी निधि का भुगतान नहीं करना है और देय प्रभारों के लिए समायोजित करना है.	यातायात
35.	157	नौका घाट स्थित अप्रोच ट्रेसल की मरम्मत.	टिप्पणी के परिच्छेद 15 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
36.	158	आर सी एफ भूखण्ड, पीरपॉव क्षेत्र में टँक फार्म्स स्थापित करने के लिए लंबी अवधि के पट्टा पर भूमि का आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
37.	159	प्रस्तावित मुंबई तटीय सड़क परियोजना यानी गिरगांव चौपाटी के नीचे भूमिगत सुरंग के लिए बृमुंमनपा को मार्गाधिकार अनुमति प्रदान करने के लिए विचार विमर्श.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
38.	160	अन्तरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, बीपीएक्स में नि:शुल्क शॉप चलाने के लिए लायसंस अवधि में विस्तार के लिए तथा लायसंस शुल्क कम करने के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 तथा 10 (i) के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	यातायात
39.	161	उच्च न्यायालय - ओ.ओ.सी.जे. लिखित याचिका (एल.) सं. 1903/2019 हॉटेल अमरजीत प्रा.लि. ..... वादी विरुध्द 1. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 2. श्री सुखसागर हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेस ..... प्रतिवादी	टिप्पणी के परिच्छेद 3 में प्रस्तुतनुसार श्री मिलिन्द साठे, वरि. अधिवक्ता को व्यवसायिक प्रभारों के भुगतान को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	विधि
40.	162	50 टन के ओशियन गॅलन्ट कर्ष किराया पर लेने के लिए मासिक आधार पर और 6 महीने की अवधि के लिए ठेका में विस्तार को मंजूरी. - निविदा सं. डीसी-03/2010.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 के परिवर्तन समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	समुद्री
41.	163	निविदा सं. ई.132/2018 - प्रिंसेस गोदी (मुंबई पोर्ट) में रो-पॅक्स यात्री टर्मिनल एवं रेस्तराँ के पुराने साज-सामान, प्रचालन तथा रखरखाव. - अतिरिक्त मुक्त करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 13 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि टिप्पणी के परिच्छेद 11 के विस एवं मुलेअ के अवलोकनों का अनुपालन हो.	स्थापत्य
42.	164	मुंपोट्र लेबर बुकिंग ऑफिस, सिवरी में नया स्वास्थ्य केंद्र के लिए बृमुंमनपा को स्थान आबंटन के लिए सैध्दांतिक अनुमोदन.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को सैध्दांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दी गयी प्रक्रिया तथा मामला भूमि आबंटन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुपालन हो.	स्थापत्य

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
43.	165	पट्टा आधार पर मुंपोट्र वर्कशॉप तथा क्लार्क बेसिन क्षेत्र का एमडीएल को आबंटन.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 के मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	सम्पदा
44.	166	निविदा सं. ई.103ए/2018- घरेलू क्रूज टर्मिनल, 15 व्हिक्टोरिया गोदी के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए प्रचालन एवं रखरखाव प्रचालक के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध.	टिप्पणी के परिच्छेद 16 के मुख्य अभियंता के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य

C6/Pro 24 September 2019/actiontaken20190625